विद्युत लोकपाल मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-44/2017

मेसर्स जयहिन्द मोण्टुपेट प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर नं. –3 ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)–455001

- आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालक यंत्री (शहर संभाग) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., देवास (म.प्र.)—455001 – अनावेदक

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 25.06.2020 को पारित)

- 01. मेसर्स जयहिन्द मोण्टुपेट प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर नं. —3 ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर को अपनी लिखित शिकायत दिनांक 15.12.2017 में अनुज्ञप्तिधारी म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, देवास द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत निकाली गई रिकवरी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालबाधित होने से निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर फोरम ने यह संज्ञान लेते हुए कि प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत हैं, जिसको सुनने का अधिकार फोरम को नहीं है, आवेदक की शिकायत अपने पत्र क्रमांक 1316 दिनांक 30.12.2017 से निरस्त कर दी थी ।
- 02. फोरम के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2018 से विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । इस अपील में उन्होंने स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि आवेदक द्वारा न तो सतर्कता विभाग द्वारा बनाए गए पंचनामा में दर्शाईं गई विसंगतियों पर आपित्त ली गई है न ही निर्धारण आदेश / निर्धारित राशि की गणना पर कोई आपित्त ली गई है तथा कथन मात्र यह है कि निर्धारण आदेश जारी होने के बाद वितरण

कम्पनी ने राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई/न ही विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए राशि को नियमित माहवारी बिलों में जोड़कर जीवंत रखा गया, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत अब चूंकि राशि कालबाधित हो चुकी है, निरस्ती योग्य है।

03. अनावेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश पर माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009" की कण्डिका 5.3 के अन्तर्गत लिखित आवेदन दिनांक 17.08.2018 प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय आयोग द्वारा निम्नानुसार संज्ञान लेते हुए आदेश दिनांक 22.10.2018 से प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विद्युत लोकपाल को अपने संदर्भित आदेश दिनांक 22.02.2018 की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया है ।

इस आदेश में अनावेदक डिस्काम द्वारा निम्न आधार पर लोकपाल के आदेश दिनांक 22.02. 2018 के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित है :—

- i. The Discom vide the instant application under the clause 5.3 of the Regulations has contested the Order on the following grounds:
 - The subject matter of complaint before Electricity Forum i.e. recovery of Rs. 1,69,901/- relates to un-authorized use of electricity and covered by section 126 of Electricity Act and as such it is outside jurisdiction of Electricity Forum as per Clause 2.4(m), 3.35 and 4.11 of Regulations.
 - As matters pertaining to part X, XI, XII, XIV, XV and XVI of the Electricity Act are outside the purview of the Electricity Forum and Electricity Ombudsman as such they are explicitly excluded from the scheme of the Regulations.
 - The Electricity Ombudsman, contrary to the Scheme of the Electricity Act, 2003 and the Regulations framed there under, allowed the appeal of consumer and set aside the demand of Rs. 1, 69,901/- on the ground that the said recovery is barred by Section 56(2) of the Electricity Act, 2003. A case of unauthorized use of Electricity founded under Section 126 of Electricity Act cannot be converted into or dealt with under Section 56(2) of Electricity Act and as such the appeal before the Electricity Ombudsman was not maintainable and as such was liable to be dismissed.
 - The respondent consumer has not disputed the load found at its premises but the only plea raised is the claim of bar of Section 56(2) of the Electricity Act 2003.
 - The matter processed under and covered under section 126 of Electricity Act 2003 cannot be converted to a routine matter to bring it under Section 56(2). The Ombudsman has failed to appreciate the fact that the Section 56 of the Act deals with power of disconnection of supply in default of payment of the electricity charges without prejudice to the rights of the Licensee. But the present matter relating to un-authorised use of Electricity is outside the jurisdiction of

- Electricity Forum and Electricity Ombudsman and Section 56(2) does not apply to the present case.
- The order of Electricity Ombudsman is not only contrary to the provisions of Electricity Act 2003 but also against the position of law settled by the Supreme Court of India in various judgments.
- The Electricity Ombudsman failed to appreciate that the demand of Rs. 1,69.901/- is enshrined in assessment order issued under Section 126 of Electricity Act, 2003 only and by no stretch of imagination Section 56(2) can be said to be attracted to the facts of the case.
- ii. The applicant West Discom has prayed to the Commission as under:
 - i) The impugned order dated 22.02.2018 passed by the Electricity Ombudsman in case No. LOO-15/17 may kindly be set aside; and
 - ii) The order dated 28.12.2017 passed by Electricity Forum Indore may kindly be upheld in the interest of justice.

लोकपाल के आदेश तथा उसके बाद डिस्काम द्वारा प्रस्तुत आवेदन से माननीय आयोग ने अपने आदेश में पाया है कि :--

- a. West Discom has submitted the instant application with an application for condonation of delay on 09/08/2018, while the Ombudsman issued the order on 22/02/2018. The Regulations have a definite provision of submission of such applications within thirty days.
- b. On the application of M/s Jai Hind Montupet Pvt. Ltd., Dewas wherein by referring to the provisions of Section 56(2) of the Electricity Act 2003, the consumer challenged the recovery of Rs. 1,69,901/- which pertains to the assessment order issued under section 126 of the Electricity Act 2003 subsequent to the vigilance inspection of the consumer's premises. By taking the cognizance of the provisions of section 56(2) of the Electricity Act 2003, the Electricity Ombudsman set aside the said recovery. Further, as per the Ombudsman's order, the consumer has not challenged the assessment made by the Licensee U/s 126 of the Electricity Act, 2003. Therefore, the amount of Rs. 1,69,901/- is payable by the consumer.
- c. The aforesaid demand under Section 126 is not covered under grievance as per Clause 2.4(m) of MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman

for redressal of grievances of the consumers) (Revision - I), Regulations 2009 which stipulates as below:

"Grievance" shall mean a dissatisfaction of the Consumer arising out of the failure of the Licensee to register or redress a Complaint and shall include any dispute between the Consumer and the Licensee with regard to any Complaint or with regard to any action taken by the Licensee in relation to or pursuant to a Complaint filed by the affected person. However, the matters falling within the purview of any of the following provisions of the Act will not form a grievance under these Regulations:

- (i) Unauthorized use of electricity as provided under Section 126 of the Act:
- (ii) Offences and penalties as provided under Sections 135 to 139 of the Act;
- (iii) Compensation related to accident in the distribution, supply or use of electricity as provided under Section 161 of the Act; and
- (iv) Recovery of arrears where the bill amount is not disputed.
- d. As per Regulation 4.11 (a) of the MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the consumers) (Revision I), Regulations, 2009, the Ombudsman shall not entertain any representation in regard to the matters under part XII (which covers Section 126 also) of the Act. As such, the aforesaid case is beyond the jurisdiction of the Ombudsman.
- e. Moreover, Section 56 of the Electricity Act, 2003 pertains to "Disconnection of supply in default of payment" and therefore, any reference to the section 56(2) for the demand under section 126 of the Electricity Act 2003 would not be appropriate in the matter.
- 04. माननीय आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 20.11.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की

सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedul) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 29.06.2019 को आयोजित की गई, बाद में दिनांक 29.06.2019 के बाद दिनांक 05.09.2019, 27.09.2019, 15.10.2019, 23.10.2010 एवं 04.11.2019 को सुनवाई आयोजित की गई । सुनवाईयों में आवेदक की ओर उनके अधिकृत प्रतिनिधीद्वय श्री जे. जी. ठोबंरे, सलाहकार एवं श्री मुरलीधर गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री एस०के० मालवी, कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) एवं श्री योगेश शर्मा /श्री आशीष जैन (विधि सहायक — सतर्कता) इन्दौर उपस्थित हुए ।

- 05. उक्त सुनवाईयों में उभयपक्षों की ओर से निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किए गए :अनावेदक के तर्क :-
 - (ए) प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 126 का होने के कारण विधिक प्रावधानानुसार फोरम को सुनने की अधिकारिता नहीं है, अतः प्रकरण माननीय फोरम द्वारा खारिज किया गया है । प्रकरण अधिनियम की धारा 126 के तहत दर्ज होने से सुनवाई का अधिकार धारा 127 के अन्तर्गत अपीलेट अथॉरिटी को है तथा प्रकरण माननीय लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर है ।
 - (बी) 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' (संक्षेप में फोरम / विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009) की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधानानुसार इस प्रकरण पर सुनवाई किया जाना फोरम तथा विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि प्रश्नाधीन प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 126 से संबंधित है और धारा 126 के अंतर्गत ही अन्तिम निर्धारण आदेश जारी कर राशि की मांग की गई है । अतः धारा 126 का प्रकरण होने के कारण इस पर सुनवाई किया जाना विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर है । इसी विधिक प्रावधान के अनुसार फोरम ने आवेदक का वाद अस्वीकार किया है ।
 - (सी) फोरम/विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण 'शिकायत' की परिधि में नहीं आते हैं इसलिए विद्युत लोकपाल को इनकी सुनवाई की अधिकारिता नहीं है । इस तर्क के पक्ष में अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ की डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील क्र0 10/2012 कुतुबुद्दीन विरुद्ध

म0प्र0प0क्षे0िव0िव0क0िति एवं अन्य में दिनांक 17.01.2012 को पारित आदेश की प्रति दृष्टांत स्वरूप पेश की है इस आदेश के पैरा — 7 को अनावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में उद्दृत किया है :—

Write Appeal No. 10/2012 Qutubuddin V/s MPPKVVCO Ltd. & other, Hon'ble High Court Bench, Indore.

Date of Order :- 17-01-2012

प्रतिवादी कम्पनी द्वारा वादी के परिसर में विजिलेन्स चेकिंग में अनाधिकृत विद्युत का उपयोग पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 (1) {संक्षेप में — अधिनियम} की धारा 126 के अन्तर्गत जारी आंकलित बिल रू० 5,06,056 /— की राशि का भुगतान वादी से प्राप्त नहीं होने पर वादी के परिसर का विद्युत प्रदाय विच्छेदन किए जाने से क्षुब्ध होकर वादी ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी । माननीय सिंगल बेंच ने अपने आदेश में वादी को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षेप में — फोरम) के समक्ष जाने के लिए निर्देशित किया था । माननीय डिवीजन बेंच के इस आदेश दिनांक 17.01.2012 का पैरा — 7 निम्नानुसार उद्द्युत है :—

"7. Before dealing with the question raised in this appeal, it would be appropriate to consider the relevant provisions of the Act. Section 42 (5) of the Act provides for establishment of a forum for redressal of grievances of the consumers, in accordance with the guidelines as may be specified by the State Commission. It provides that every distribution licensee shall, within six months from the appointed date or date of grant of licence, shall establish such forum. MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of the Consumers) (Revision-I) Regulations, 2009 (for short, Regulations) provides for constitution of the Forum. Clause 2 (m) of the Regulations defines the term 'Grievance'. The definition of the term 'Grievance' specifically excludes from its ambit the 'unauthorized use of electricity', as provided under Section 126 of the Act. In the circumstances, the Forum established under Section 42 (5) of the Act is not empowered to deal with the grievances of the consumers regarding 'unauthorized use of electricity', as provided under Section 126 of the Act. As would be clear from the pleadings

raised by the parties, the disconnection of the electricity connection in question is not on account of any other dues, but is ordered on account of nondeposit of the amount assessed by way of provisional assessment order dated 07.08.2007. Having regard to this position, in our considered view, the learned Single Judge has committed an error in relegating the appellant to the Grievance Redressal Forum for redressal of his grievance impugned before the writ Court. We are of the view that the grievance of the appellant is relating to the provisional assessment order passed on the basis of alleged unauthorized use of electricity and for redressal of the said grievance, the appellant cannot be directed to approach the Forum, as the said grievance cannot be adjudicated by the said Forum.

(डी) विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण में धारा 56 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर डिवीजन बैंच ने रिट अपील नं0 494/2015 मप्रपक्षेविविकिल विरूद्ध मे0 नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्ड0 लिमिटेड एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 22.06.2016 में निर्णीत किया है । डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में सिंगल बैंच के रिट याचिका क्रमांक 2814/2015 में दिनांक 28. 07.2015 को पारित आदेश, जिसमें धारा 126 के प्रकरण में धारा 56(2) लागू होने संबंधी निर्णय दिया था, को रद्ध किया है । अनावेदक द्वारा इन दोनों आदेशों की प्रति अपने तर्क के समर्थन में दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत की है तथा आदेश दिनांक 22.06.2016 के पैरा — 33 को अनावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में उद्द्युत किया है :-

रिट अपील क्रमांक 494/2015, म0प्र0प0क्षे0 विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य विरूद्ध मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य माननीय डिवीजन बेंच, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर आदेश दिनांक 22.06.2016

याचिकाकर्ता (रिट याचिका क्र0 2814) 2015 में प्रतिवादी) ने उनके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में जारी रू0 49,30,64,654 / — के अंतिम निर्धारण आदेश को रदद करते हुए प्रकरण को अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत पुनर्विचार किए जाने के रिट कोर्ट के आदेश दिनांक 28.07.2015 के विरुद्ध अपील दायर की थी। माननीय डिवीजन बेंच के इस अपील पर दिए गए आदेश दिनांक 22.06.2016 के पैरा — 32 में धारा 56 की उपधारा 56(1) एवं 56(2) को उद्दृत किया है तथा पैरा — 33

के प्रारंभिक अंश में धारा 56 के प्रभाव क्षेत्र (Sphere of influence) के बादे में निम्नानुसार निर्णायक टीप दी है :--

- "33. From perusal of the above section, it clearly shows that it deals with the disconnection of supply in default of payment. The appellant's case has never been that the electricity connection given to the premise of National Steel should be disconnected for default of payment. The case of the appellants is specific that there has been unauthorised use of electricity with the meaning of Section 126 when national Steel had drawn power from the Grid using both the connections i.e. **Connection no.1** and **Connection no.2** whereas **Connection no. 2** is clearly intended only for export of power."
- (ई) प्रश्नाधीन प्रकरण में धारा 126 के अंतर्गत जारी अन्तिम निर्धारण आदेश की राशि की वसूली अधिनियम की धारा 56(2) के अंतर्गत कालबाधित नहीं होती है । अनावेदक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निम्न निर्णयों की प्रतियां तथा आदेश दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत की है ।
 - i) रिट क्रमांक 61204 आफ 2015, श्याम फेरस लि0 विरूद्ध उ०प्र० शासन एवं 6 अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आदेश दिनांक 23.12.2015

"Before parting we would mention that much emphasis has been laid that Section 56(2) of Electricity Act 2003 has been contextually misinterpreted whereas it has limited application only to the extent of disconnection and this Court in the case of Paliwal Alloys Pvt. Ltd. Vs. U.P. Power Corporation Ltd and others has failed to consider the said provision in its correct perspective and for this purpose reliance has been placed on the judgement of Bombay High Court in the case Awadesh S. Pandey Versus Tata Power Corporation Limited and others AIR 2007 Bom 52. Relevant para nos. 7 and 8 are being extracted below:-

7. We then come to the next issue as to whether the demand made by respondent No. 1 is contrary to the provision of Section 56 of the Electricity Act. We have already narrated the facts. The Electricity Ombudsman by his order of 18th July, 2006 held that the respondent No. 1 is entitled to recover past dues by correcting multiplying factor. The question posed by the Electricity

Ombudsman to itself was whether the recovery could be made for the entire period of 26 months i.e. for a period from October, 2003 to November,2004 and that too belatedly in January, 2006. After considering the various provisions including the regulations, the Ombudsman held. Only those charges for a period of two years previous to the demand could be recovered and that the arrears for the consumption in January, 2004 became first due in February, 2004 as supplementary bill was raised in 2006 and these dues having been within two years are recoverable under the provisions of Section 56(2) of the Electricity Act.

Submission of counsel for the petitioner is that the provisions of Section 56 do not empower respondent No. 1 to recover any amount if the period of two years has elapsed no can electricity supply be cut off for nonpayment of those dues. In other words what is sought to be contended is that if the demand or part of the demand is time barred the provisions of Section 56 would not be attracted. We are afraid, we cannot subscribe to that proposition. Section 56(1) is a special provision. Enabling the generating company or the licensee to cutoff supply of electricity until such charges or sum as demanded under Section 56(1) is paid. Relying on Sub-section (2). It was strenuously urged that Section 56(1) cannot be resorted to after the period of two years from the date when such demand became first due. In our opinion. Sub-section (2) only provides alimitation, that the recourse to recovery by cutting of electricity supply is limited for a period of two years from the date when such sum became due. As long a sum is due, which is within two years of the demand and can be recovered, the licensee of the generating company can exercise its power of coercive process of recovery by cutting of electricity supply. This is a special mechanism provided to enable the licensee or the generating company to recover its dues expeditiously. The Electricity Act has provided that mechanism for improvement of supply of electricity and to enable the licensee or generating company to recover its dues. Apart from the above mechanism, independently it can make recovery by way of a suit. In our opinion. therefore, the impugned order passed by the Electricity Ombudsman does not suffer from any error apparent on the face of the record and consequently there is no merit in this petition."

(ii) LPA No. 605 of 2009, मे0 अन्टार्कटिक इण्डस्ट्रीज एवं अन्य विरूद्ध पंजावब राज्य विद्युत मण्डल एवं अन्य सहित 18 अन्य एल0पी0ए0

माननीय पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय चण्डीगढ़, आदेश दिनांक 09.09.2011

कुल 19 एलपीए में संयुक्त रूप से दिए गए आदेश दिनांक 09.09.2020 के प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित अंश निम्नानुसार उदद्यत हैं :--

"Another argument raised by learned counsel for the appellants, common to both set of cases, is that in terms of Section 56 of the Act the Board can claim arrears of the electricity charges for a period of two years alone. It is contended that the bill for the supply of electricity were issued between the months of March to October, 2008 but with effect from 01-04-2004 i.e. for the period exceeding two years. Therefore, such recovery is not tenable. We find that in the writ petitions, no such assertion based upon Section 56 of the Act has been made. Even otherwise, we find that section 56 of the Act has been made. Even otherwise, we find that Section 56 of the Act deals with power of disconnection of supply in default of payment of the electricity charges without prejudice to the rights of the Licensee in a suit. The bar under subsection 2 of Section 56 of the Act is in respect of the action under the aforesaid Section. Therefore, Section 56 of the Act is a provision which given right to the Board to recover the arrears of electricity on the threat of disconnection of the supply. Such arrears are restricted for a period of two years, but it does not wipe off the recovery of arrears for more than two years. The right to recover arrears by way of suit has been specifically protected. Therefore, whether the electric supply can be disconnected in terms of Section 56 on the basis of arrears claimed, require verification of the facts. Therefore, we give liberty to the consumers to submit representation, if so advised, in respect of claim of arrears for a period exceeding two years. As and when such representations are filed, the Board shall consider the same and initiate appropriate proceedings for recovery either in terms of Section 56 of the Act or in other manner authorized by law."

iii) रिट पिटीशन नं0 204 वर्ष 2014 श्री ओमप्रकाश पालीवाल विरूद्ध CESC लि0 माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता, आदेश दिनांक 21.11.2014

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण में दिनांक 21.11.2014 को पारित आदेश के प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित अंश निम्नानुसार उद्द्यृत हैं :--

"16. The point of limitation raised by the writ petitioner is also without any basis. True the assessment on account of unauthorized use of electricity was of 2007. The electric supply to the Respondent No. 3 stood disconnected in 2007. The licensee had no address to raise the bill for the unauthorized use of electricity on the respondent No. 3, 5, 56(2) and the period of limitation laid down therein, does not help the writ petitioner, in my view, on at least on two counts. Firstly, it is not the case of the writ petitioner that, notwithstanding the licensee having knowledge of the address at which to raise the bill for the unauthorized use of electric supply by the Respondent No. 3, the Licensee did not do so for a period in excess of two years.

The licensee raised its demand and disconnected electric supply to the writ petitioner immediately upon finding the writ petitioner to consume electricity at the present address. Secondly, S. 56 does not envisage a scenario where the consumer is guilty of unauthorized use of electric supply. Consequently, Sub-S. (2) of S 56 will not apply to the facts of this case.

अपने उक्त तर्कों के आधार पर अनावेदक का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रकरण अधिनियम की धारा 56(2) की परिधि में आने के कारण सुनवाई योग्य बताया जा रहा है, जबिक प्रकरण मूलतः धारा 126 का होकर माननीय लोकपाल की सुनवाई के क्षेत्राधिकारी के बाहर है एवं माननीय लोकपाल द्वारा दिनांक 22.02.2018 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था। साथ ही निवेदन है कि धारा 126 के तहत बनाए गए पंचनामें की सुनवाई का अधिकार धारा 127 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को है जो यह तय कर सकता है कि धारा 126 के तहत निर्धारित की गई राशि उचित है या अनुचित है।

(एफ) अन्त में आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का प्रकरण होने के कारण इसमें विद्युत लोकपाल को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अतः विद्युत लोकपाल का आदेश दिनांक 22.02.2018 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाएं ।

06. आवेदक की ओर से उक्त सुनवाईयों में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए :--

- (ए) यह स्वीकार है कि विद्युत लोकपाल को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकारी नहीं हैं, किन्तु उनके द्वारा धारा 126 में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है वरन धारा 56 (2) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है । चूंकि फोरम के समक्ष की गई मूल शिकायत भी धारा 56 (2) में प्रस्तुत की गई थी, अतः स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने में प्रकरण का आधार नहीं बदला गया है और अपील स्वीकार योग्य है ।
- (बी) प्रस्तुत अपील पर सुनवाई किया जाना पूर्णतः विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार में है जिस पर माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009'' में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है ।
- (सी) चूंकि प्रकरण में निर्धारण आदेश जारी होने के बाद वितरण कम्पनी ने राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की न ही पृथक प्रावधानों का पालन करते हुए राशि को नियमित माहवारी बिलों में जोड़कर जीवंत रखा गया, अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के तहत अब यह राशि कालबाधित हो चुकी है और इस धारा के प्रावधानानुसार वसूली किए जाने योग्य नहीं होकर निरस्ती योग्य है ।
- (डी) नियामक आयोग का अपने आदेश में यह कथन कि धारा 126 के अंतर्गत की गई डिमाण्ड फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कण्डिका 2.4(एम) के अनुसार शिकायत के अंतर्गत नहीं आती है, भ्रम पैदा करता है । धारा 126 में प्रावधानित अनाधिकृत विद्युत के उपयोग का अभिप्राय 126 की डिमाण्ड की वसूली की प्रक्रियां से नहीं है । उपभोक्ता को न तो पंचनामें पर आपत्ति है न ही निर्धारण आदेश पर 126 का प्रकरण / उसकी प्रक्रियां मांग निर्धारित होने तक है ।
- (ई) विद्युत लेखापाल ने स्थिति को पारदर्शी रूप से स्पष्ट किया है । 126 में उठाई गई मांग पर कानून ने कोई अलग से ठप्पा नहीं लगाया है । 126 की वसूली की विधा अलग से नहीं है । जबिक 135 को पैनाल्टि की श्रेणी में लेकर धारा 170 में वसूली की विधा साफ की गई है । 126 की वसूली 56(1) के तहत ही होना है क्योंकि 126 की रिकवरी के लिए संयोग बिना नोटिस दिए नहीं काटा जा सकता है तब conjugate धारा 56(2) न लागू होने का सवाल ही नहीं है । डिस्काम का यह कथन की 126 की डिमाण्ड का प्रकरण 56(2) के तहत नहीं आता है यह नियामक आयोग ने कैसे मान लिया विश्लेषण क्यों नहीं किया गया कि 126 के संयोग को किस विधि से काटा जावे ।

We do agree that the cases of section 126 of the Act not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation. We also know that 126 is not covered under article 170 i.e. Offences and Penalties. There found no mention in books of law that demand once derived under 126 not covered under grivences. The cases of 56 (2) is well covered under definition of grievance we have lodged complaint under 56 (2) not under 126. Thus without strong legal base mare say "that demand U/s 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation is totally absured.

- (एफ) नियामक आयोग का अपने आदेश में यह कहना कि रू० 1,69,901 / की वसूली अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत निर्धारित किए जाने से संबंधित है और उपभोक्ता द्वारा धारा 126 में जारी इन निर्धारण आदेश को फोरम के समक्ष चुनौती दी गई, सही नहीं है । फोरम एवं विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि हमारी शिकायत सिर्फ यह है कि निकाली गई राशि धारा 56(2) के अन्तर्गत कालबाधित हो चुकी है ।
- (जी) नियामक आयोग का अपने आदेश में यह कहना कि विद्युत लोकपाल को प्रस्तुत अपील में उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बदल सकता है सही नहीं है । इस संबंध में फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत एवं विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों के समक्ष समान आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं ।
- (एच) I have gone through art. 126 word by word found that the article 126 sub section 1 to 6 does not envisage the process of recovery. Please see that article 126 ends when recovery is finalized. Thus the case is transperant & also crystal clear that this recovery envisages under this case is well within the perview of 56 (2).
- (आई) मुख्य वाद का विषय यह है कि यह प्रकरण ओम्बसमेण्ट के अधिकार क्षेत्र का है या नहीं। इस संबंध में कानूनविदों का मत है कि :—

Griveances filing: The Forum shall take up any kind of grievances concerning with electricity Supply to the consumers except the grievances arising under section 126, 127, 135, 139, 143, 152 & 161 of the act. Also 4.11 (a)of MPERC (Establishment of Forum & Electricity Ombudsman for redressal of Grievances of Consumer) (Revision -I) Regulation 2009 says that;

"Notwithstanding the above, the Forum shall not entertain any representation in regard to the matters which are subject matters of existing or proposed proceedings before the Commission or before any other authority including those under part X, XI, XII, XIV, XV & XVI of the Act. स्पष्ट किया गया है कि,

विद्युत अधिनियम 2003 के उपरोक्त सात चेप्टर के विषय पर अभ्यावेदन ग्राहय नहीं करेगा । यह ओम्बसमेण्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । — उपभोक्ता को ओम्बसमेण्ट के कार्यक्षेत्र की सीमाओं के बारे में पूरी जानकारी है वाद 126 के प्रकरण / प्रक्रियां / लिए गए निर्णय पर नहीं है । वाद कालबाधित बकाया की निरस्ती का है ।

विद्युत अधिनियम की ''धारा 126 के प्रकरण'' की व्याख्या होना आवश्यक है कि कानूनविदो के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा परिसर की जांच कर यह पाए जाने पर उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपयोग हेतु दी गई स्वीकृति एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे अनाधिकृत विद्युत का उपयोग माना जावेगा । तत्पश्चात जांच अधिकारी की धारा 126 के खण्ड 126 के खण्ड 1, 2, 3, 4 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा । अधिनियम की धारा 126 में खण्ड है अंतिम खण्ड तक पढ़ने पर ज्ञात हुआ है कि निर्धारण आदेश प्रचलित टैरिफ के दो गुना दर पर जारी होना है । निर्धारण आदेश जारी होने के बाद ही धारा 126 की प्रक्रियां समाप्त होती है । राशि वसूली बाबत कोई विद्या 126 में नहीं है। पेनाल्टी राशि (धारा 135 के तहत वसूली) के लिए प्रावधान है कि तत्काल पंचनामा बनने पर बिना सूचना संयोग काटा जावे एवं जब तक राशि नहीं वसूली जाती, संयोग कटा रहेगा । उपभोक्ता द्वारा ओम्बसमेण्ट के सम्मुख न तो पंचनामें में उल्लेखित विसंगतियों पर न ही जारी निर्धारण आदेश एवं राशि की गणना पर वाद प्रस्तुत किया है । निर्धारण आदेश जारी हो चुका था । धारा 126 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अर्थात निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2013 जारी होने के बाद 3 वर्ष तक विद्युत वितरण कंपनी ने कोई तकादा नहीं किया । यहां तक कि सप्लाई कोड की महत्वपूर्ण धारा 8.33 जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आडिट, सतर्कता राशि एवं अन्य बकाया राशि को वसूलने हेतु राशि को सीधे बिल में जोड़ा जा सकता है बिल्क विधिवत 15 दिवस का नोटिस देकर अवधि समाप्त होने पर भुगतान न होने की दशा में आगामी माह के बिल में चढ़ाना है ताकि भुगतान की अंतिम तिथि के बाद 56(1) के तहत 15 दिवस के नोटिस देकर संयोग का विच्छेदित किया जा सके । अगर उपभोक्ता से इस निर्धारण आदेश की राशि बिल के साथ वसूलने में विद्युत वितरण कंपनी कतिपय कारणों से तात्कालिक छूट देती है तो भी देय राशि बिल में जुड़ी होने के कारण सतत माहवारी बिल में अवतरित होती रहे । सप्लाय कोड की धारा 8.33 का उद्देश यह है कि किसी भी दशा में राशि को कालबाधित न होने दिया जावे ।

विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग भोपाल को प्रेषित आवेदनों में बड़ी सफाई से इस मुख्य विषय पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने से बचा गया है कि यह प्रकरण 56(2) के अंतर्गत क्यों नहीं है? वितरण कंपनी मौन है । वितरण कंपनी लगातार 126 के

प्रकरण पर सुनने का अधिकार नहीं होने की वकालात / बात करती है जबिक प्रकरण 126 का नहीं होकर वसूली से संबंधित है । उपभोक्ता द्वारा प्रकरण 56(2) के तहत कालबाधित वसूली के निरस्त करने हेतु विद्युत लोकपाल को प्रस्तुत किया गया है एवं लोकपाल महोदय द्वारा प्रकरण की ग्राहयता पर समस्त वैधानिक पहलुओं का विश्लेषण कर समीक्षा उपरान्त ही प्रकरण को ग्राहय कर विद्युत वितरण कंपनी को बार बार अवसर दिया जाकर 56(2) अंतर्गत निर्णय जारी किया गया ।

- (जे) विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियामक आयोग को प्रेषित पीटीशन आवेदक पेज क्रमांक की किएडका 3.24 में नियामक आयोग का ध्यान माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा W.P. No. 204/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21 नवंबर 2014 पर आकर्षित कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) धारा 126 पर प्रभावी नहीं होगी । इस तरह का उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है । W.P. No. 204/2014 में पारित संपूर्ण निर्णय दिनांक 21 नवंबर 2014 की प्रति संलग्न है । पारित आदेश का आंशिक उदाहरण प्रस्तुत कर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है । न्यायाधीश महोदय द्वारा लेख किया है कि
- 1. पीटिशनर द्वारा बिना किसी आधार के limitation का बिन्दु उठाया है ।
- 2. न्यायाधीश महोदय ने आगे लेख किया है कि यह सही है कि निर्धारण की गई राशि अनअथाराईज्ड विद्युत उपयोग के कारण 2007 की है । तत्समय 2007 में ही उपयोगकर्ता का संयोग काटा जा चुका था ।
- 3. चूंकि वितरण कंपनी के पास उपयोगकर्ता का पता नहीं था कि बिल जारी रखे जा सकें। ऐसी दशा में धारा 56 (2) does not help the writ petitioner
- 4. Secondaly section 56 does not envisages a scenario where the consuemer is guilty of unauthorise use of electric supply. Consequently, Sub-Section (2) of Section 56 will not apply to the facts of the case.

ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त निर्णय में कहीं उल्लेख नहीं है कि अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अर्थात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) पाए जाने पर निर्धारित राशि पर धारा 56(2) लागू नहीं होती । Sub-Section (2) of section 56 will not apply to the facts of this case तात्पर्य यह है कि अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अर्थात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) अंतर्गत निर्धारित राशि 56(2) के तहत कालबाधित तो होती है, पर इस प्रकरण विशेष में fact को देखते हुए अनअथराईज्ड विद्युत का उपयोग (अथ्रात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126) अंतर्गत निर्धारित राशि पर परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि धारा 56(2) apply नहीं होती है । विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर द्वारा नियामक आयोग को प्रस्तुत आपत्ति आवेदन में Fact of the case अंतर्गत

विभिन्न 23 बिन्दु पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के उदद्हरण प्रस्तुत कर विधिक स्थिति स्पष्ट करने का भ्रामक प्रयास किया है । गंभीरता से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दर्शाएं गए किसी भी बिन्दु का यह आशय नहीं निकलता है कि 126 के तहत जारी निर्धारण आदेश के तहत देय राशि 56(2) के तहत कालबाधित नहीं होती है ।

(के) कार्यपालन यंत्री सतर्कता द्वारा पत्र क्रमांक 2744 दिनांक 26.09.2019 के पैरा 7 एवं 8 के अनुलग्नक प्रेषित करते हुए श्याम फेरियस लिमिटेड गोपाल नगर विरूद्ध स्टेट आफ यूपी एवं 6 अन्य न्याय निर्णय की प्रति प्रेषित की गई है । उपभोक्ताद्वारा सभी निर्णयों का अध्ययन किया तथा पाया कि कोई भी निर्णय इस प्रकरण से संबंधित नहीं है । निर्णय / विश्लेषण में कहीं नहीं लिखा है या निष्कर्ष नहीं निकला है कि 126 के प्रकरण की मांग धारा 56(2) से निरस्त नहीं हो सकती है ।

यह ध्यान में लाया जाता है कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सतर्कता संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रथक देयक मासिक आधार पर जारी किए जावेगें जिसके अंतर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जावेगी । उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम नहीं होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरंतर जोड़ा जावेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं हो जाता है ।

उपरोक्त विधा के तहत यह निर्देशित किया गया है कि सतर्कता प्रकरणों की राशि को वसूली न हो पाने की स्थिति में 56(2) के तहत कालबाधित होने से बचाने के लिए उसे प्रथम डिमाण्ड के बाद भुगतान न होने पर माहवारी बिलों में निरंतर जोड़ा जावे । (यहां सतर्कता की सभी वसूली अर्थात धारा 126 प्रकरण की वसूली सिहत) अन्य सभी वसूली शामिल हैं अतः यह कहना कि 126 की डिमाण्ड राशि कालबाधित नहीं होती यह सही नहीं है ।

विद्युत लोकपाल महोदय द्वारा वितरण कंपनी को पर्याप्त समय दिए जाने पर भी उनके द्वारा उठाएं गए निम्न मुद्दे/आपत्ति पर कानूनी तौर से मान्य होवे यह प्रमाणित करने हेतु लिगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी ।

- The above case of unauthorized use of electricity U/s 126 of Electricity Act can not be converted in to or delt with U/s 56 (2) of the electricity Act,
- The demand U/s 126 is not covered under grievances as per regulation 2.4(m) of the regulation.

- (एल) मेसर्स गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्दौर प्रकरण क्रमांक एल00/15/17 दिनांक 08.11.2017 एवं मेसर्स जी0एम0 मेटल्स पीथमपुर, एल00/30/16 दिनांक 08.11.2017 दोनों पुनरीक्षित आदेश की एक एक कण्डिका में विस्तार से उन सभी बिन्दुओं का न्यायिक विश्लषण कर यह प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा कंपनी की आपत्ति को किस नियम के तहत या किस ग्राउण्ड पर खारिज किया है । यही सब मुद्दे मेसर्स जयहिन्द के प्रकरण के हैं ।
- (एम) महोदय उपभोक्ता द्वारा पूर्व पेशी में उच्च न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि धारा 56(2) में any sum का तात्पर्य है । इसका तात्पर्य 1 Arising from event of supply of electricity 2 Any amount of sum which is legally leviable on supply of electricity can be recovered under U/s 56 (1). Thus conjugats 56 (2) must be applicable alongwith."
- 07. प्रस्तुत अपील तथा उभयपक्षों के प्रस्तुत कथन / साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वाद का बिन्दु अनावेदक द्वारा आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 126 'विद्युत के अनाधिकृत उपयोग' के लिए निकाली गई राशि से संबंधित है । जहां एक ओर आवेदक ने यह राशि धारा 126 के अंतर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में जारी निर्धारण आदेश से संबंधित होना स्वीकार करते हुए इस राशि को अधिनियम की धारा 56(2) में कालबाधित बताते हुए निरस्त किए जाने संबंधी तर्क प्रस्तत किया है, अनावेदक ने प्रकरण को मूलतः धारा 126 से संबंधित बताते हुए लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर होने, धारा 56(2) के प्रावधान लागू नहीं होने संबंधी तर्क प्रस्तुत किए हैं ।
- 08. प्रस्तुत अपील में दिए गए तथ्यों, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों / किए गए कथनों का विद्युत अधिनियम 2003, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा फोरम / विद्युत लोकपाल स्थापना विनियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के आधार पर तथा माननीय आयोग के आदेश दिनांक 22.10.2018 में माननीय आयोग द्वारा दी गई टिप्पणियों के प्रकाश में प्रकरण की निम्नानुसार विवेचना की गई :—
 - (ए) उभयपक्षों द्वारा धारा 56(2) के संदर्भ में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस धारा का अवलोकन किया गया ।
 - **56. Disconnection of supply in default of payment. -** (1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving

not less than fifteen clear day's notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such persons deposits, under protest,-

- (a) an amount equal to the sum claimed from him, or
- (b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months,

Whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licenses.

(2) Notwithstanding anything contained an any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

उक्त धारा 56 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसकी उपधारा 56 (1) अनुज्ञिप्तिधारी को अपने वसूली योग्य राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर विद्युत उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन का विद्युत प्रदाय बंद किए जाने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु इसके साथ ही उपधारा 56 (2) अनुज्ञिप्तिधारी को इस अधिभार के प्रयोग से उस स्थिति में वंचित करता है जबिक वसूली योग्य रकम में तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है, 2 वर्ष की कालाविध के पश्चात् वसूली किए जाने योग्य नहीं होगी । जब तक ऐसी रकम सप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेंज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो । इस उपधारा में रकम की वसूली कालबाधित होने संबंधी प्रस्तुत परिदृश्य के विस्तार एवं प्रभाव क्षेत्र (Sphere of influence) की मर्यादा केवल

धारा 56 के प्रावधान अर्थात् ''भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय का विच्छेदन'' तक ही सीमित रखी गई है ।

अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा तथा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा क्रमशः WP 61204/2015, LPA No. 605/2009 & 18 अन्य और WP 204/2014 में पारित आदेशों के प्रस्तुत दृष्टांतों के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पृष्टि होती है कि धारा 56(2) में राशि कालबाधित होने पर केवल अनुज्ञप्तिधारी को धारा 56(1) में राशि की वसूली हेतु उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित करने का प्रदत्त अधिकार कालबाधित होता है, किन्तु यह राशि या इस राशि की अन्य उपलब्ध विधि विकल्पों के अन्तर्गत वसूली कालबाधित नहीं होती है।

- (बी) अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका क्रमांक 204/2014 में दिनांक 21.11.2014 को पारित आदेश का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि धारा 126 के प्रकरणों पर धारा 56(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस संबंध में आदेश के पैरा 16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने केवल धारा 56(2) में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होने संबंधी टिप्पणी की है । इससे स्पष्ट है कि धारा 126 के प्रकरणों पर भी धारा 56(2) के प्रावधान पूर्ण प्रभाव के साथ लागू होते हैं ।
- (सी) अनाधिकृत विद्युत उपयोग के लिए धारा 126 के अन्तर्गत आरोपित राशि के धारा 56(2) में प्रस्तुतीकरण संबंधी आवेदक की अपील पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिए जाने के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आवेदक और अनावेदक द्वारा फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के संदर्भ में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

इस संबंध में इन कण्डिकाओं और धारा 56 के प्रावधानों, जो इस आदेश के क्रमशः पैरा 3 (c), 3(d) एवं 8(ए) में वर्णित हैं, का अवलोकन किया गया । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत वाद धारा — 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के लिए आरोपित राशि की वसुली से संबंधित है । इस परिप्रेक्ष्य में उक्त कण्डिकाओं और धारा 56 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि धारा — 126 के प्रकरणों पर धारा 56(1) एवं 56(2) के प्रावधान लागू होते हैं तथापि वाद की राशि मूलतः धारा — 126 के अन्तर्गत प्रावधानित विद्युत के अनाधिकृत उपयोग से सीधे तौर पर सम्बद्ध होने से

प्रश्नाधीन प्रकरण की विषय वस्तुत धारा 126 के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और किण्डका 2.4(m) के प्रावधान अनुसार यह फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 के अन्तर्गत 'शिकायत' के रूप में मान्य नहीं की जा सकती है वहीं किण्डका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई कर समुचित निर्णय लिया जाना उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है ।

09. उक्त विवेचना से प्रकरण में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :--

- (1) जहां अधिनियम की धारा 126 के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर भी धारा 56 के प्रावधान लागू होना सिद्ध होता है वहीं दूसरी ओर यह भी सिद्ध होता है कि धारा 56(2) के प्रावधान केवल 56(1) में अनुज्ञप्तिधारी को अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय का विच्छेदन करने के प्रदत्त अधिकार को ऐसी राशि कालबाधित होने पर सीमित करता है किन्तु ऐसी राशि या इसकी वसूली को कालबाधित करते हुए निरस्त नहीं करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारा 126 में जारी निर्धारण आदेश की राशि वसूली हेतु कालबाधित मानते हुए इस राशि को निरस्त करने का निर्णय देते हुए आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित करने में विद्युत लोकपाल से धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैद्यानिक व्याख्या करने में भूल हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि कारित हुई है ।
- (2) अधिनियम की धारा 126 विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में जारी निर्धारण आदेश की राशि पर उक्त स0क्र0 1 में प्राप्त निष्कर्षों अनुसार धारा 56(2) के प्रावधान लागू होने के बाद भी फोरम एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना विनियम 2009 की कण्डिका 2.4 (m) के प्रावधान अनुसार इस राशि का धारा 56(2) में किया गया प्रस्तुतीकरण 'शिकायत' की परिधि में नहीं आता है तथा संहिता की कण्डिका 4.11(a) के प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरणों पर सुनवाई कर समुचित निर्णय पारित किया जाना फोरम एवं विद्युत लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आना सिद्ध होता है ।
- (3) उक्त स0क्र0 01 एवं 02 में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्ध होता है कि विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 को पारित करने में संहिता की कण्डिका 2.4(m) एवं 4.11(a) तथा अधिनियम की धारा 56(2) के प्रावधानों की समुचित वैधानिक व्याख्या करने में भूल हुई जिसमें पारित आदेश में स्पष्ट वैधानिक त्रुटि कारित हुई । अतः इस आदेश को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

- 10. प्रकरण में प्राप्त उक्त निष्कर्षों के आधार पर विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 22.02.2018 को अकृत एवं शून्य (Null & Void) घोषित करने का निर्णय लिया जाता है तथा आवेदक की अपील बिना किसी निर्णय के खारिज की जाती है ।
- 11. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार अलग से सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल